

विषय सूची		
	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	vii
अध्याय-I	प्रस्तावना	1
1.1	सीजीएचएस कवरेज तथा मुख्य विशेषताएं	1
1.2	संगठनात्मक ढांचा	1
1.3	फंडिंग पैटर्न	2
1.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	3
1.5	लेखापरीक्षा क्षेत्र	3
1.6	लेखापरीक्षा नमूना	3
1.7	लेखापरीक्षा मानदंड	4
1.8	लेखापरीक्षा पद्धति	4
1.9	रिपोर्टिंग पद्धति और रिपोर्ट की संरचना	5
1.10	पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्ष	5
1.11	सीजीएचएस में अच्छी प्रथाएं	6
1.12	आभार	7
अध्याय-II	दवाइयों का प्रापण तथा आपूर्ति	9
2.1	सीजीएचएस हेतु दवाइयों के प्रापण की प्रणाली	9
2.2	दवा फार्मूलरी तथा दवाइयों की प्रापण दर को अंतिम रूप देना	11
2.2.1	दवा फार्मूलरी	11
2.2.2	दवा फार्मूलरी के संशोधन में विलम्ब	12
2.2.3	फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाइयों की दर संविदाओं को अंतिम रूप न देना	12
2.3	वार्षिक प्रावधानन तथा मांगों का प्रस्तुतीकरण	16
2.3.1	एडी एमएसडी दिल्ली द्वारा दवाइयों की वार्षिक मांग को अंतिम रूप देने तथा मांग के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	16
2.3.2	मांग के प्रस्तुतीकरण की अनुसूची	17
2.3.3	एडी एमएसडी दिल्ली द्वारा मांग की गई दवाइयों की कम मात्रा	18
2.4	जीएमएसडी द्वारा दवाइयों की आपूर्ति	19
2.4.1	जीएमएसडी द्वारा दवाइयों की आपूर्ति में विलम्ब	19
2.4.2	जीएमएसडी द्वारा दवाइयों की कम आपूर्ति	20

2.5	आरोग्य केन्द्रों को दवाइयों की आपूर्ति	21
2.6	दिल्ली तथा अन्य शहरों में आरोग्य केन्द्रों में दवाइयों की भारी कमी	23
2.7	प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट (एएलसी) से दवाइयों का प्रापण	25
2.7.1	दिल्ली में एएलसी के माध्यम से ब्रांडेड दवाइयों का बहुतायत प्रापण	26
2.7.2	एएलसी के माध्यम से उच्चतर दरों पर दर अनुबंधित दवाओं का प्रापण	27
2.7.3	निर्धारित दवाइयों की एएलसी द्वारा आपूर्ति न किया जाना	28
2.7.4	एएलसी द्वारा आरोग्य केन्द्रों को मांग की गई दवा की आपूर्ति में विलम्ब	29
2.7.5	एएलसी द्वारा आरोग्य केन्द्रों को मांग की गई दवाइयों की कम तथा अधिक आपूर्ति	30
2.7.6	दिल्ली में एएलसी को पैनालबद्ध करने हेतु निविदा में अनियमितताएं	31
2.8	प्रतिबंधित दवाइयों का प्रापण तथा आपूर्ति	32
2.8.1	प्रतिबंधित दवाइयों का खुली निविदा आमंत्रित किए बिना प्रापण किया जाना	32
2.8.2	प्रतिबंधित दवाइयों की आपूर्ति में विलम्ब	33
2.9	आरोग्य केन्द्रों की लाभार्थी आईडी पर एएलसी से दवाइयों का प्रापण	33
2.10	खराब हो चुकी तथा और जल्द खराब होने वाली दवाइयों की आपूर्ति	34
2.10.1	जीएमएसडी द्वारा आपूर्ति की गई कम शैल्फ लाईफ वाली दवाइयां	34
2.10.2	खराब हो चुकी और जल्द ही खराब होने वाली दवाइयों की आपूर्ति	35
2.10.3	एएलसी द्वारा आरोग्य केन्द्रों को खराब हो चुकी/जल्द ही खराब होने वाली दवाइयों की आपूर्ति	36
2.10.4	खराब हो चुकी/जल्द ही खराब होने वाली प्रतिबंधित दवाइयों की आपूर्ति	37
2.10.5	एएलसी द्वारा उत्पादन तिथि निर्दिष्ट किए बिना दवाइयों की आपूर्ति	38
2.10.6	मेडिकल स्टोर डिपो (एमएसडी) दिल्ली तथा एडी सिटी में खराब हो चुकी दवाइयां	39
2.11	एमएसओ द्वारा सीजीएचएस को आपूर्ति की गई दवाइयों का गुणवत्ता आश्वासन तथा परीक्षण	39
2.11.1	रोगियों को घटिया दवाइयां जारी करना	40
2.12	सीजीएचएस में दवाइयों के प्रापण की गैर-निगरानी	41
2.12.1	सीजीएचएस से जीएमएसडी को कुल राशि ₹ 484.66 करोड़ का भुगतान बकाया	41
2.12.2	सीजीएचएस डाटाबेस में डाटा की गुणवत्ता	42

2.13	लाभार्थी सर्वेक्षण	42
2.14	निष्कर्ष	43
अध्याय-III	चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	45
3.1	सीजीएचएस द्वारा स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) के दावों की प्रतिपूर्ति की प्रणाली	45
3.1.1	बिल समाशोधन अभिकरण की नियुक्ति	45
3.1.2	सीजीएचएस द्वारा निजी एचसीओ को पैलबद्ध करना	45
3.1.3	दावों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया	46
3.1.4	सीजीएचएस द्वारा एचसीओ के दावों के निपटान हेतु समय-सीमा	49
3.2	डाटा विश्लेषण	49
3.2.1	अंतर्रोगी/बाह्य रोगी	51
3.2.2	स्वास्थ्य देखभाल संगठनों द्वारा प्रक्रियाओं/पैकेजों की अनुमोदित दरों से अधिक बिल प्रस्तुत करना	51
3.2.3	निपटान हेतु लंबित कुल ₹527.62 करोड़ के दावे	53
3.2.4	बीसीए/एचसीओ से ₹ 39.87 करोड़ की वसूली न होना	54
3.2.5	एचसीओ को ₹ 39.32 लाख की राशि का अधिक भुगतान	54
3.2.6	सेवारत सीजीएचएस लाभार्थियों से संबंधित एचसीओ को ₹23.70 लाख का अनियमित भुगतान	55
3.2.7	दावों के निपटान से पहले बीसीए द्वारा की गई अविश्वसनीय जांच	57
3.2.8	सीजीएचएस द्वारा दावों की अस्वीकृति के बावजूद एचसीओ को ₹27.79 लाख का अनधिकृत भुगतान	59
3.2.9	एचसीओ द्वारा दावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	59
3.2.10	बीसीए द्वारा दावों के निपटान में विलम्ब	61
3.2.11	सीजीएचएस द्वारा दावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब	63
3.2.12	इलाज की सूचना प्राप्त किए बिना अस्पताल के दावों का अनुमोदन	64
3.2.13	अस्पताल हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) और प्रयोगशाला हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) का गैर-प्रत्यायन	66
3.3	निगरानी	67
3.3.1	बीसीए को दिए गए अग्रिम की निगरानी एवं समाधान	67
3.3.2	एचसीओ द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का गैर प्रस्तुतीकरण	68
3.3.3	एचसीओ के साथ बैठकें	70

3.3.4	एचसीओ द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	70
3.4	शिकायतें	70
3.5	ई-क्लेम्स सिस्टम में विसंगतियां	72
3.6	₹ 14.30 करोड़ के टीडीएस की कम कटौती	75
3.7	सीजीएचएस के अंतर्गत पैनेलबद्ध एचसीओ के अस्पताल बिलों का कागज रहित अस्पताल बिलिंग हेतु एनएचए आईटी प्लेटफार्म पर संसाधन	77
3.8	निष्कर्ष	77
अध्याय-IV	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	79
	अनुलग्नक	85-114
	संक्षिप्ति की सूची	115